



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/325

18.07.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

अभिवादन!

विषय: कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से रैखिक निम्न-घनत्व पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई) के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग शुल्क जांच की शुरुआत - इनपुट प्रस्तुत करना

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के कार्यालय ने हमें सूचित किया है कि व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) कुवैत, मलेशिया, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात में उत्पन्न या वहां से निर्यातित **लीनियर लो-डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलएलडीपीई)** के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग शुल्क जांच शुरू कर रहा है।

विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित **एचएस कोड** के अंतर्गत आता है: **39011010 और 39014010**

इस संबंध में, सभी संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर इनपुट/सूचना प्रस्तुत करें:

- o(a) आपकी भागीदारी की श्रेणी (पीयूसी / डाउनस्ट्रीम / अपस्ट्रीम)
- o(b) विषयगत उत्पाद का कुल अनुमानित **वार्षिक उत्पादन**
- o(c) भारत में विषयगत उत्पाद के **उत्पादकों की अनुमानित संख्या**

कृपया **उपरोक्त जानकारी 22 जुलाई 2025 तक** bharti@plexconcil.org पर अवश्य भेजें ताकि जांच प्रक्रिया में समय पर विचार किया जा सके।

किसी भी स्पष्टीकरण या आगे की जानकारी के लिए आप नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक - व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद